न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-73/2018-19

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

कृष्ण महतो बनाम अम्बिका देवी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता – कृष्ण महतो, पिता–स्व० राधा मोहन महतो, ग्राम–कुबाडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, अंचल–राहे, जिला–राँची, जाति–कुर्मी(महतो), पेशा–खेतीबारी।

क्रेता का नाम एवं पता – अम्बिका देवी, पति–श्री जितेन्द्र महतो, ग्राम–महेशपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, अंचल–राहे, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहिणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम – श्री परमेश्वर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–21/04/18 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता अम्बिका देवी, पति–श्री जितेन्द्र महतो, ग्राम–महेशपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, अंचल–राहे, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी हैं:–

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
राहे	सोनाहातु	4881	29	482	04 डी०

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक–401(ii) दिनांक–04/07/18 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम कालीनाथ महतो वगैरह कौम कुरमी है।

(2) आवेदक खतियानी रैयत कालीनाथ महतो, के पोता है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम जगन्नाथ महतो, गरभु महतो, लोहरा महतो, वाउरी महतो, विसरन महतो, गणेश महतो, शाम महतो, भदी महतो है, तथा रैयत के पास रकवा–4.88 एकड़ भूमि है।

(4) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन दोन III किस्म की है।

(5) आवेदित भूमि के विक्रेता कृष्ण महतो, पिता–स्व० राधा मोहन महतो है। आवेदक द्वारा जो वंसावली बनाई गई है, वह पंजी–II रैयत से नही मिलता है। आवेदक, आवेदक के पिता तथा आवेदक के दादा के नाम से जमाबदी दर्ज नही है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत विक्रेता कृष्ण महतो, पिता–स्व० राधा मोहन महतो, ग्राम–कुबाडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, अंचल–राहे, जिला–राँची, जाति–कुर्मी(महतो), पेशा–खेतबारी, को क्रेता अम्बिका देवी, पति–श्री जितेन्द्र महतो, ग्राम–महेशपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, अंचल–राहे, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री हेतु अस्वीकृत करने की अनूशंसा की गई है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–18/06/2018 को आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में विक्री हेतु अनुमति वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
राहे	सोनाहातु/81	29	482	04 डी०

लेखापित एवं संशोधित।

30/07/18

भूमि सुधार उप समाहत्ता।
बुण्डू।

30/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू।